आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

RBA No. 28/2023
GST Circular No. 09/2023
New Delhi, dated : 24.8.2023

No. 2023/AC-II/1/3/GST Reference

Pr. Financial Advisor,
All Zonal railways/PUs

Sub:- Mismatch of GST data between GSTR-1 and GSTR-3B.

Based on a reference received from Southern Railway seeking clarification regarding the disparities observed in outward tax liabilities reported in GSTR-1 data and those available in the GSTR-3B filing, a review has been carried out by CRIS and M/s Velocis – (GSP for IR) for the period from April'22 to June '23.

During this review, it was observed that there were instances where some modified invoices were treated as original and vice versa. This resulted in less remittance of GST liability for some states and excess in others. Less remittance of GST liability attracts interest as per GST Act.

The following are the possible reasons for differences between GSTR-1 and GSTR-3B :

1. Invoices rejected during the GSTR-1 filing are counted toward the liabilities during GSTR-3B.
2. Invoices that were rejected earlier when resubmitted in GSTR-1 after their correction are not considered into the tax liabilities in GSTR-3B.
3. Instances where negative liability in a tax component arises due to substantial credit notes or refunds in GSTR-1 which are required to be omitted in GSTR-3B submission and **are adjusted in subsequent filings.**
4. Deliberate alterations made by Railways in the outward tax liabilities during GSTR-3B filing, as observed in a specific case of Maharashtra state in the June 2022 filing.

…..2…

As such, all Zonal Railways/PUs are required to take the following course of action:

1. Verify the 3B computation sheets provided by M/s Velocis before their filing.
2. Promptly communicate discrepancies, if any, to CRIS/GSP for immediate corrective action.
3. Inform CRIS & RB about the adjustments, if any, made during GST Returns filing.

In view of the above, Railways must ensure that there are no differences between GSTR-1 and GSTR-3B figures other than for reasons mentioned above. Their GST consultants must verify the computation sheets provided before filing of GSTR-3B, to find any discrepancy in data or calculations, for immediate corrective actions. Reasons for any alteration of data while filing of GSTR-3B should be recorded with clear justification through a report on the GST Manual Utility to be developed by CRIS.

Suitable arrangements may kindly be made to ensure strict compliance of these instructions.

(Vipul Tripathi)
Director/ Accounts
Railway Board

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 28/2023
जीएसटी परिपत्र सं. 09/2023

सं.2023/एसी-II/1/3/जीएसटी रेफरेंस नई दिल्ली, दिनांक : 24.08.2023

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच जीएसटी डाटा का मिलान न होना।

जीएसटीआर-1 डाटा और जीएसटीआर-3बी फाइलिंग में उपलब्ध बाहरी कर दायिताओं में देखे गए अंतरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए दक्षिण रेलवे से प्राप्त एक संदर्भ के आधार पर, अप्रैल 22 से जून 23 तक की अवधि के लिए क्रिस एवं मैसर्स वेलोसिस-(भारतीय रेल के लिए जीएसपी) द्वारा एक समीक्षा की गई है।

इस समीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि ऐसे कई दृष्टांतों में संशोधित बीजकों को मूल बीजक और इसके विपरीत माना गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के लिए जीएसटी देयता के प्रेषण में कमी आई और अन्यों में वृद्धि हुई। जीएसटी देयता के कम प्रेषण से जीएसटी अधिनियम के अनुसार ब्याज लगेगा।

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच अंतरों के लिए संभावित कारण निम्नलिखित हैं :

1. जीएसटीआर-1 भरते समय अस्वीकृत किए गए बीजकों को जीएसटीआर-3बी भरने के दौरान देयताओं में गिना जाता है।
2. ऐसे बीजक जिन्हें पहले अस्वीकृत किया गया था को जब उनकी शुद्धि करने के पश्चात् जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें जीएसटीआर-3बी की कर देयता में नहीं गिना जाता है।
3. ऐसे दृष्टांत, जिनमें जीएसटीआर-1 में पर्याप्त क्रेडिट नोटों या प्रतिदाय के कारण कर घटक में नकारात्मक देयता उत्पन्न हुई है जिनको जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करते समय छोड़ दिये जाने की आवश्यकता होती है और उन्हें अनुवर्ती फाइलिंग में समायोजित किया जाता है।
4. जीएसटीआर-3बी भरते समय बाहरी कर देयताओं में रेलवे द्वारा जानबूझ कर किए गए परिवर्तन, जैसा कि जून 2022 की फाइलिंग में महाराष्ट्र राज्य के एक विशिष्ट मामले में देखा गया था।

इस प्रकार, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को निम्नलिखित कार्रवाई करना अपेक्षित है :

1. मैसर्स वेलोसिस द्वारा उनके फाइलिंग से पहले प्रस्तुत की गई 3बी गणना शीटों को सत्यापित करना।
2. यदि कोई विसंगति हो, तो क्रिस/जीएसपी को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु तुरंत सूचित करें।
3. जीएसटी रिटर्न भरते समय यदि कोई समायोजन हो, तो इसके बारे में क्रिस एवं रेलवे बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त को देखते हुए, रेलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर उल्लिखित कारणों के अलावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं है। उनके जीएसटी परामर्शदाताओं को जीएसटीआर-3बी के भरने से पूर्व गणना शीट को सत्यापित करना चाहिए, ताकि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए डाटा और परिकलन में किसी विसंगति का पता लगाया जा सके। जीएसटीआर-3बी भरते समय डाटा में किसी भी फेरबदल के कारण को क्रिस द्वारा विकसित जीएसटी नियमावली उपयोगिता पर एक रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट औचित्य के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

कृपया इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड